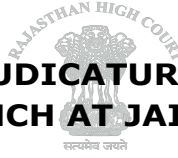




**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 10429/2026
URN: CRLMB / 19339U / 2026

Amarjeet Kaur W/o Late Baljeet Kaur, Aged 69 Years, R/o Ward No. 03, Govind Nagar, Macchiwada Road, Samrala, Police Station Samrala, Ludhiyana, Punjab.
(At Present Confined In District Jail Beawar, District Beawar).

----Accused-Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Ashish Sharma, Adv. Mr. Rohit Tantia, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Amit Kumar Gupta, Addl. GA

HON'BLE MR. JUSTICE BHUWAN GOYAL

Order

17/07/2026

प्रार्थिया-अभियुक्ता अमरजीत कौर पत्नी स्व. बलजीत सिंह की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 बीएनएसएस के अन्तर्गत पुलिस थाना-विजय नगर, जिला-ब्यावर, में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या- 241/2026, अपराध अन्तर्गत 8/15 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थिया-अभियुक्ता ने कथन किया कि प्रस्तुत मामले में प्रार्थिया-अभियुक्ता महिला है एवं वह पूर्णतया निर्दोष है, उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। उनका यह भी कथन है कि प्रार्थिया-अभियुक्ता का सहअभियुक्त से बरामद मादक पदार्थ से कोई संबंध नहीं है। उनका यह भी कथन है कि प्रार्थिया-अभियुक्ता द्वारा वाहन सहअभियुक्त विकास कुमार को लीज पर दिया हुआ था एवं उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि उक्त



वाहन का उपयोग मादक पदार्थ के परिवहन हेतु किया जा रहा था। उनका यह भी कथन है कि प्रकरण में सहअभियुक्त से जो 27 किलो 640 ग्राम मादक पदार्थ अफीम डोडा पोस्ट चूरा की बरामदगी दिखाई गई है वह वाणिज्यिक मात्रा से काफी कम है। उनका यह भी कथन है कि प्रार्थिया-अभियुक्ता 70 वर्षीय महिला है एवं उसके विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि की साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। उनका यह भी कथन है कि प्रकरण में प्रार्थिया-अभियुक्ता दिनांक 29-06-2026 से अभिरक्षा में चल रही है एवं प्रकरण के अनुसंधान एवं विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थिया-अभियुक्ता को जमानत का लाभ दिया जावे।

विद्वान अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना पत्र का कड़ा विरोध करते हुए प्रार्थिया-अभियुक्ता का जमानत आवेदन खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

मैंने पत्रावली का गहनतापूर्वक व सम्मानपूर्वक अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के तर्कों पर मनन किया।

ऐसे में प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थिया-अभियुक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों तथा प्रार्थिया-अभियुक्ता की अभिरक्षा अवधि तथा उसके 70 वर्षीय महिला होने आदि तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण-दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थिया-अभियुक्ता को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थिया-अभियुक्ता **अमरजीत कौर पत्नी स्व. बलजीत सिंह** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थिया-अभियुक्ता इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय या अंतरिती न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु **पचास हजार रुपये** का बन्ध-पत्र तथा **पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये** की दो सुदृढ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी अन्य किसी प्रकरण में आवश्यकता ना हो, तो संबंधित थानाधिकारी के माध्यम से प्रार्थिया-अभियुक्ता व उसके प्रतिभू के वर्तमान पते



को सत्यापित करने के उपरांत प्रार्थिया-अभियुक्ता को हस्तगत प्रकरण में अविलंब निम्न शर्तों पर जमानत पर रिहा कर दिया जाए—

1. जमानत पर आजाद होने के 7 दिवस के अंतर्गत प्रार्थिया/अभियुक्ता अपना वर्तमान पता एवं मोबाइल नंबर, जो वह उपयोग में ले रही है, उसका विवरण संबंधित थानाधिकारी को उपलब्ध कराएगी व संबंधित थानाधिकारी उक्त पते व मोबाइल नंबर को सत्यापित करेगा। यदि प्रार्थिया/अभियुक्ता अपने वर्तमान पते व मोबाइल नंबर में कोई परिवर्तन करती है, तो उसकी सूचना भी तुरंत प्रभाव से संबंधित थानाधिकारी एवं संबंधित न्यायालय को देगी।
2. प्रार्थिया/अभियुक्ता प्रत्येक माह की 25 तारीख को, विचारण की समाप्ति तक, संबंधित पुलिस थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी। संबंधित पुलिस थानाधिकारी को यह निर्देशित किया जाता है कि वह प्रार्थिया/अभियुक्ता की उपस्थिति दर्ज करते हुए नियमित रजिस्टर का संधारण करेगा एवं उक्त उपस्थिति की रिपोर्ट उसी दिन (अवकाश होने पर अगले दिन) संबंधित विचारण न्यायालय को बिना किसी विलंब के प्रेषित करेगा। यदि प्रार्थिया/अभियुक्ता उक्त शर्त का उल्लंघन करती है या ऐसे किसी अपराध की पुनरावृत्ति करती है या उसमें लिप्त पाया जाती है तो संबंधित लोक अभियोजक उक्त आधार पर प्रार्थिया/अभियुक्ता की जमानत को निरस्त करने हेतु संबंधित न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने को स्वतंत्र रहेगा।

इस आदेश की एक प्रति संबंधित थानाधिकारी को अनुपालना हेतु भेजी जावे।

(BHUWAN GOYAL),J